न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

अनवान -

01- कृष्णा देवी पुत्री श्री बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी 21 जी0बी0 तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

--प्रार्थी--

बनाम-

01- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर

--अप्रार्थी--

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट)

प्रकरण संख्या - 2../2025 निर्णय दिनांक- 1-1-25

ACMS- 2025/1

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि प्रार्थीया कृष्णा देवी पुत्री श्री बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी 21 जी0बी0 तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से चक 21 जी0बी0 तहसील श्रीविजयनगर के मु0न0 10 प0न0 157/404, मु0न0 53 प0न0 159/407, मु0न0 31 प0न0 163/406, मु0न0 58 प0न0 164/407 के कुल 5.541 हैक्टर रकबा में से 1/7 हिस्सा खातेदारी रकबा है। उपरोक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम सहवन से किशनी पुत्री बस्तीराम दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का सही नाम कृष्णा पुत्री श्री बस्तीराम है। प्रार्थीया उपरोक्त रकबा की जमाबंदी में अपना नाम किशनी देवी पुत्री बस्तीराम को दुरूत करवाकर सही नाम कृष्णा देवी पुत्री बस्तीराम दर्ज करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 21 जी0बी0 तहसील श्रीविजयनगर के मु0न0 10 प0न0 157/404, मु0न0 53 प0न0 159/407, मु0न0 31 प0न0 163/406, मु0न0 58 प0न0 164/407 के कुल 5.541 हैक्टर रकबा में से 1/7 हिस्सा खातेदारी रकबा की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम किशनी देवी पुत्री बस्तीराम को दुरूस्त कर सही नाम कृष्णा देवी पुत्री बस्तीराम दर्ज करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीविजयनगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर की रिपोर्ट दिनांक 31.12.2024 के अनुसार चक 21 जी0बी0 तहसील श्रीविजयनगर के मु0न0 10 प0न0 157/404, मु0न0 53 प0न0 159/407, मु0न0 31 प0न0 163/406, मु0न0 58 प0न0 164/407 के कुल 5.541 हैक्टर रकबा में से 1/7 हिस्सा खातेदारी रकबा किशनी देवी पुत्री बस्तीराम के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया के नाम उपरोक्त खातेदारी रकबा की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम किशनी देवी पुत्री बस्तीराम के स्थान पर कृष्णा देवी पुत्री बस्तीराम दुरूस्त करन की अनुशंषा की गई।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में इस आशय का अनुतोष चाहा गया है कि चक 21 जी0बी0 तहसील श्रीविजयनगर के मु0न0 10 प0न0 157/404, मु0न0 53 प0न0 159/407, मु0न0 31 प0न0 163/406, मु0न0 58 प0न0 164/407 के कुल 5.541 हैक्टर रकबा में से 1/7 हिस्सा खातेदारी रकबा की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम किशनी देवी पुत्री बस्तीराम को दुरूस्त कर सही नाम कृष्णा देवी पुत्री बस्तीराम दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर द्वारा प्रार्थीया के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.27 10:31:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नाम से उक्त खातेदारी रकबा की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम दुरूस्त करने की अनुशषा की गई है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत राशन कार्ड, आधार कार्ड में प्रार्थीया का कृष्णा देवी दर्ज है। पत्रावली में आये दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने उपरान्त प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर चक 21 जी0बी0 तहसील श्रीविजयनगर के मु0न0 10 प0न0 157/404, मु0न0 53 प0न0 159/407, मु0न0 31 प0न0 163/406, मु0न0 58 प0न0 164/407 के कुल 5.541 हैक्टर रकबा में से 1/7 हिस्सा खातेदारी रकबा की जमाबंदी में दर्ज प्रार्थीया का नाम किशनी देवी पुत्री बस्तीराम को दुरूस्त कर सही नाम कृष्णा देवी पुत्री बस्तीराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 1-1-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.27 10:31:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner